The ship-repairing yard is being considered seriously; it is not merely to avoid the issue.

SHRI JANARDHANA REDDY; May I know from the hon. Prime Minister, Sir, which are the two sites recommended by the expert team?

MR. CHAIRMAN: He has given the names already.

SHRI JANARDHANA REDDY: He has not given. And besides this I would like to know the position of Vishakhapatnam about a ship-building yard being located there.

SHRI MORARJI R. DESAI: There is one at Vishakhapatnam. What is he asking? About the two names, they are Paradeep and Hazira.

MR. CHAIRMAN: Next question.

पिछड़े वर्गों के छात्रों को मैट्रिकोत्तर छात्रवृत्तियां प्रदान किये जाने के लिए परीक्षा

*394. श्री श्रीकांत वर्मा :†
श्री बलराम दास :
श्री सवाई सिंह सिसोदिया :
श्री नन्द किशोर भट्ट :
श्रीमती रत्न कुमारी :

क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि पिछड़े वर्गों को मैट्रिकोत्तर छात्रवृत्तियों के लिये हकदार बनाने के लिये जो परीक्षा ली जाती है उसके विरुद्ध इन वर्गों के छात्रों में व्यापक असंतोष है ; और

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार उक्त प्रयोजन के लिये ऐसी परीक्षा को बन्द करने का विचार रखती है ?

Examination for *grant* of post matric scholarships to students belonging to the backward classes'

*394. SHRI SHRIKANT VERMA:
SHRI BALRAM DAS: SHRI SAWAISINGH SISODIA:
SHRI N. K. BHATT:
SHRIMATI RATAN KUMARI:

Will the Minister of HOME AFFAIRS be pleased to state:

(a) whether it is a fact that there is widespread resentment among the students belonging to the backward classes against holding an examination for determining their eligibility for the grant of post-matric scholarships; and

(b) if so, whether Government propose to do away with the practice of holding such examinations for the aforesaid purpose?]

THE MINISTER OF HOME AFFAIRS (SHRI CHARAN SINGH): (a) Government of India sponsors post-matric scholarships scheme for Scheduled Castes, Scheduled Tribes and Neo-Buddhists only. There is no provision of holding any examination for the purpose of granting post-matric scholarships,

(b) Does not arise.

@[गृह मंत्री (श्री चरण सिंह) : (क) भारत सरकार केवल अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों तथा नव बौद्धों के लिए मैट्रिकोत्तर छात्रवृत्ति योजना प्रायोजित करती है । मैट्रिकोत्तर छात्रवृत्तियां प्रदान करने के प्रयोजन के लिए कोई परीक्षा लेने का प्रावधान नहीं है ।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।]

श्री श्रीकान्त वर्मा : सभापति महोदय, जैसा कि मंत्री महोदय ने बताया कि कुछ

tThe question was actually asked on the floor of the House by Shri Shrikant Verma. $[ ] English translation. @[ ] Hindi translation.

खास जातियों के लिये इस तरह की परीक्षा होती है, इसलिये मैं माननीय मंत्री महोदय से जानना चाहूंगा कि—वैसे तो यह सवाल बैकवर्ड क्लासेज के बारे में है—क्या जिन जातियों का हवाला उन्होंने अपने उत्तर में दिया है, उनके बीच भी इस तरह की परीक्षाओं को लेकर किसी तरह का असन्तोष है ।

SHRI CHARAN SINGH: I have no knowledge whether there is discontentment or not. But the question was whether any competitive examinations were held. I have replied, "No".

SHRI SHRIKANT VERMA: I have asked whether there is widespread discontentment and resentment among the students belonging to the backward classes and whether such examinations are held or not.

SHRI CHARAN SINGH: I have said that the scheme applies only to Scheduled Castes, Scheduled Tribes and Neo-Buddhists. Backward classes is a term which has not been defined as yet. So far as discontentment is concerned, everybody who is born in this; world is discontented.

श्री सवाई सिंह सिसोदिया : मान्यवर, पिछले वर्गों और खास तौर पर हरिजन और आदिवासियों की उच्च शिक्षा के लिये ज्यादा से ज्यादा सुविधा देने की नीति पूर्व शासन की थी और मेरा ख्याल है कि वर्तमान शासन भी इसके पक्ष में हैं । मैं माननीय मंत्री जी से यह जानना चाहता हूं कि विशेष तौर से आदिवासी विद्यार्थियों को मैट्रिक से आगे की शिक्षा के लिये शासन ने क्या-क्या सुविधा देने का निश्चय किया है और क्या एसे विद्यार्थियों को जो कि अन्यथा आगे हैं, उनको विदेशों में उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिये भी कोई सुविधा देने का कार्यक्रम है ?

श्री चरण सिंह : सभापति महोदय, शैड्यूल्ड कास्ट और शैड्यूल्ड ट्राइब्ज के नौजवानों को शिक्षा प्राप्त करने के लिये क्या-क्या सुविधायें दी जा रही हैं, यह एक बड़ा व्यापक प्रश्न है, उनको बहुत-सी सुविधायें दी जाती हैं । परन्तु मैं इसका उत्तर देने के लिये तैयार नहीं हूं । इस वक्त तो सवाल सिर्फ यह था कि मैट्रिकुलेशन पास करने के बाद, जो उनको स्कालरशिप दिया जाता है, क्या इसके लिये कम्पीटीटिव एक्जामिनेशन होता है । मैंने इसका उत्तर यह दिया कि नहीं होता । शैड्यूल्ड ट्राइब के जो लड़के आगे पढ़ना चाहते है, उनको भी वजीफा मिलता है ।

SHRI N. K. BHATT: Sir, Harijans, Adivasis and other backward sections of the society have been subjected to all types of exploitation for ages which among others, accounts for the absence of opportunities to them to have a better standard of life. The extension of facilities to improve their lot and better opportunities for living is proper and should be further extended for the fuller development of their personality. Sir, doing away with the practice of holding examinations for determining their eligibility at different levels does not serve our purpose. I would like to know from the hon. Home Minister if the Government has any proposal to give them every facility for education and other things to enable them to enter into competitive examinations and occupy important positions on merit and, if so, I would like the hon-Minister to enlighten us about them.

MR. CHAIRMAN: He has replied in the first supplementary that there is no examination. Is it not so?

SHRI CHARAN SINGH; There is no examination. As regards other facilities, a large number of facilities are provided. But I am not prepared today.

SHRI N. K. BHATT: I have made a slight departure. Giving them facili ties for education or exempting there does not help them very much.

MR. CHAIRMAN: That is a different question. Today, it is whether there**,** is an examination or not. Your question will not arise out of this.

श्री श्यामलाल यादव : मान्यवर, मूल प्रश्न तो अन्य पिछड़ी जातियों के लिए था। लेकिन माननीय गृह मंत्री महोदय ने अनुसूचित जातियों, जन जातियों के बारे में ब्यान दिया। मेरा मूल प्रश्न था पिछड़ी जातियों के लिए और माननीय गृह मंत्री जी ने जवाब दिया अनुसूचित जातियों तथा जनजातियों के लिए। क्या माननीय मंत्री जी बतलाएंगे कि काका कालेलकर कमीशन ने अदर बैकवर्ड क्लासिज के बारे में सिफारिश की थी और अदर बैकवर्ड क्लासिज की डैफिनिशन भी दी थी तथा खुद जनता पार्टी के मैनिफेस्टो में भी लिखा है कि अदर बैकवर्ड कलासिज के नागरिकों को संरक्षण दिया जाएगा? उस बात को ध्यान में रखते हुए क्या गृह मंत्री जी इस बात पर विचार करेंगे कि अन्य पिछड़ी जातियां जो संविधान में वर्णित हैं या जिन जातियों का वर्णन काका कालेलकर कमीशन ने किया है उनको भी मैट्रिक क्लास के ऊपर की कक्षाओं में छात्रवृत्ति दी जा सकती है?

श्री चरण सिंह : सभापति महोदय, सवाल यह था कि बैकवर्ड क्लासिज के लिए पोस्ट मैट्रिक शिक्षा प्राप्त करने के लिए और उनको छात्रवृत्ति देने के लिए क्या कोई कंडीशन प्रसक्राइब्ड है कि इम्तहान पास करेंगे या बैठेंगे तो मैंने कहा कि नहीं। अब बैकवर्ड क्लासिज का जहां तक गवर्नमेंट आफ इंडिया का संबंध है केवल शैड्यूल्ड कास्ट, तथा शैड्यूल ट्राइब्स तथा नियोबुद्धिस्ट तक ही सीमित है। वैसे बैकवर्ड क्लासिज की डैफिनिशन कोई खास नहीं है और स्टेट में अलग-अलग परिभाषा के अनुसार बैकवड क्लासिज को गिनाया जाता है और उनको सहुलियतें दी जाती हैं। जहां तक गवर्नमेंट आफ इंडिया का संबंध है बैकवर्ड क्लासिज की सीमा तीन तक ही सीमित है। उसका मैं जवाब दे चुका हूं।

SHRI YOGENDRA MAKWANA: Sir, in some private schools and col-leges- the scholarship money is re-ceived in the beginning of the year and they deposit it in the bank and collect a huge amount of interest and at the end of the year, they give the scholarship amount to the students. I would like to know whether the Government is aware of this and if so, what action they propose to take against these schools and colleges.

MR. CHAIRMAN: You can put a separate question. Now, Shri Naik.

SHRI L. R. NAIK: Sir, the hon. Minister has replied about the grant of scholarships and holding of examinations thereof only in respect of Scheduled Castes and Scheduled Tribes. But the question asked is about the backward classes. These backward classes of course, include the Scheduled Castes and the Scheduled Tribes also, but besides these, there are other classes like the denotifled tribes. I would like to know from the hon. Minister as to what arrangement he has made for the grant of scholarships to the denotified tribes.

SHRI CHARAN SINGH; I believe, Sir, all these tribes fall within the definition of either the Scheduled Tribes or the Scheduled Castes. So, the facility in regard to scholarship extends to them also.

SHRI L. R. NAIK: Is the **hon.** Minister aware...

MR. CHAIRMAN; You are not al-lowed to put another supplementary-

SHRI N. H. KUMBHARE: Sir, our Constitution has identified two classes of people for special treatment. **One** class comprises Scheduled Castes and Scheduled Tribes because of their social disability and poverty, and the other class consists of backward classes because of their economic backwardness. Now, the hon. Home Minister has told us that for the Scheduled Castes and the Scheduled

Tribes, this scheme of scholarship is there. We would like to know from the hon. Minister whether these backward classes could also be helped by the Central Government and not the State Governments. What we would like to know is whether the Central Government contemplates to start a similar scheme for the backward classes.

SHRI CHARAN SINGH: At least, not at present.

श्री जावर हुसैन : मंत्री महोदय ने यह बताया कि शेड्यूल्ड कास्ट और शेड्यूल्ड ट्राइब्स और अन्य वर्गों के मैट्रिक पास विद्यार्थियों को हायर ऐजुकेशन के लिए वज़ीफा मिलता है। क्या सरकार को यह मालूम है कि उन्हें जो रुपया मिलता है, वह बहुत ही कम होता है। साथ ही वह रुपया समय पर नहीं मिलता है और रुपये देने में बहुत पिलफ़ेज होता है जिससे रुपये में कमी हो जाती है। यह वज़ीफा उन्हें साल के अन्त में ही मिलता है जिससे उनकी परेशानियां और भी बढ़ जाती हैं। मैं इसके साथ-साथ यह भी जानना चाहता हूं कि विद्यार्थियों को वज़ीफा देने के लिए सरकार ने क्या क्राइटेरिया बना रखा है ? किस क्राइटेरिया पर अलाउड किया है ?

श्री चरण सिंह : सभापति महोदय, जहां तक वज़ीफा मिलने में देर का प्रश्न है यह शिकायत सही है कि देर से मिलता है। कभी-कभी वह साल खत्म हो जाता है तब मिलता है। गवर्नमेंट ने इस सिलसिले में अब तक काफी कदम उठाए हैं लेकिन गवर्नमेंट स्वयं इस सिलसिले में सन्तुष्ट नहीं है कि उन कदमों का खास असर पड़ा है। देर अब भी हो रही है इसलिये हम उस पर फिर विचार करेंगे। अब रहा यह कि सबको मिलता है या नहीं। तो सबको मिलता है लेकिन शर्त यह है कि उस परिवार का मैनेजर या विद्यार्थी का बाप या गार्जियन 750 रु० माहवार से कम की आमदनी का हो। जहां तक मुझे याद है कि यह शर्तें स्टेट्स ने लगा रखी हैं और बाकी कोई शर्त नहीं है। इस समय तक लगभग साढ़े तीन लाख लड़के वज़ीफा पा रहे हैं और उनका खर्च सन् 1979 तक 177 करोड़ रुपये हो जायेगा फिफ्थ इयर प्लान में और यही स्कीम इसी प्रकार रही तो सिक्स्थ प्लान में वह 177 करोड़ रुपया आगे चल कर और बढ़ता चला जायगा। अब जहां तक सबको शिक्षा देने की बात है इसमें दो राय नहीं हो सकती हैं लेकिन जो गवर्नमेंट के फाइनेंशियल रिसोर्सेज हैं उनको भी नजरअन्दाज नहीं किया जा सकता है। आज 40 करोड़ आदमी इलिट्रेट हैं। शिड्यूल्ड कास्ट और शिड्यूल्ड ट्राइब में उसका परसेंटेज ज्यादा होगा लेकिन जनरल पापुलेशन में भी सब को मिलाकर 40 करोड़ आदमी इलिट्रेट हैं।

श्री रामानन्द यादव : लास्ट में मिलता है पैसा तो लड़के क्या करेंगे उनकी पढ़ाई तो बन्द हो जायगी।

MR. CHAIRMAN: No more questions on this. Yes, Shri Bhupesh Gupta, next question.

Torture of miners in Bellad Colliery at Jamuria near Asansol

@*395. SHRI BHUPESH GUPTA:f DR. Z. A. AHMAD: SHRI INDRADEEP SINHA:

Will the Minister of ENERGY be pleased to state;

(a) whether Government's attention has been drawn to a news item which appeared in the Statesman, dated the 17th January, 1977 regard-

@Previously, Starred Question 275, transferred from the 29th July, 1977.

tThe question was actually asked on the floor of the House by Shri Bhupesh Gupta.